

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 132
No. 245]	DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939	[N.C.T.D. No. 132

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 9/2017- राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/361.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी कटौतीकर्ता द्वारा, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के अधीन राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर किसी पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्घृणीय संपूर्ण राज्य कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करते हैं कि कटौतीकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (vi) के अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. गुप्ता, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi the 30th June, 2017

No. 9/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/361.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a deductor under section 51 of the said Act, from any supplier, who is not registered, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the said Act, subject to the condition that the deductor is not liable to be registered otherwise than under sub-clause (vi) of section 24 of the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi

S. K. GUPTA, Dy. Secy. VI (Finance)